

I/15350/2022

बिहार सरकार
बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी
(ग्रामीण विकास विभाग)

दिनांक--:31/12/2021

प्रेषक,

सी०पी०खंडूजा,
आयुक्त मनेरगा।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जीविका,
पटना, बिहार।

विषय:- मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- ग्रामीण विकास विभाग के गै०स०प्रे०सं० 794, दिनांक 24.09.2021

महाशय,

उपरोक्त विषय प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये प्रधानमंत्री के नये 15-सूत्री कार्यक्रम के संबंध में वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभाग से सम्बद्ध योजनाओं में अल्पसंख्यकों के हिस्सेदारी से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई है।

उपरोक्त के आलोक में सूचित करना है की महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत MIS पर उपलब्ध प्रतिवेदनो में अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं हैं ।

सूचनार्थ प्रेषित।

Signed by C P Khanduja विश्वासभाजन,

Date: 31-12-2021 12:11:37

Reason: Approved

(सी०पी० खण्डूजा)
आयुक्त, मनेरगा।

प्रतिलिपि: संयुक्त सचिव-सह-निधि प्रबंधक, BRDS को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

पीत पत्र के बदले में ।

ग्रा0वि0-15 बैठक- 47/2012

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जीविका, विद्युत भवन,
बेली रोड, पटना ।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बी0आर0डी0एस0, रेड क्रॉस,
गांधी मैदान, पटना ।

श्री राजेश परिमल,
उप सचिव ।
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :- विभाग से सम्बद्ध योजनाओं में अल्पसंख्यकों के हिस्सेदारी से संबंधित वित्तीय वर्ष 2020-21 का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

निदेशानुसार उपर्युक्त अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2312 दिनांक- 14.09.2021 जिसमें विभाग से सम्बद्ध योजनाओं में अल्पसंख्यकों के हिस्सेदारी से संबंधित वित्तीय वर्ष 2020-21 का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में मांग की गई है ।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित मामले से संबंधित वांछित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

24-9-21
(सदय कुमार सिन्हा)
अवर सचिव
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार पटना ।

6336
30-9-21

पत्रांक-अ.सं.क.-28-01/2013.....

2312 12/24 567502/21/24

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक

डॉ० अमीर आफ़ाक़ अहमद फ़ैज़ी
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, वित्त विभाग, नगर विकास विभाग,
ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग,
संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा,
सामाजिक कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग,
स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग,
निदेशक, आई०सी०डी०सी०, बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक 14/09/21

विषय:- अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए अद्यतन प्रगति
प्रतिवेदन/त्रैमासिक प्रतिवेदन उलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- उपसचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार का D.O. No. 4/3/2017-PP-II
दिनांक-23.02.2021


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि
अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री का नया 15-सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार
की विभिन्न योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ से वंचित लोगों तक पहुँचाना है।
इस कार्यक्रम में यह भी प्रावधान किया गया है कि जहां कहीं भी संभव हो सरकार के विभिन्न
स्कीमों के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय व्यय का 15 प्रतिशत राशि अल्पसंख्यकों के लिए
निर्धारित किया जाय।

अतः उक्तालोक में अनुरोध है कि अपने-अपने विभाग से सम्बद्ध योजनाओं में
अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी से संबंधित वित्तीय वर्ष-2020-21 का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र
(संलग्न) में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन


संयुक्त सचिव-सह-निदेशक 14/9

S.O-15

24.9.2021
24/9/21

अनुलग्नक-01

सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व से संबंधित विहित प्रपत्र

विभाग का नाम:-

क्रम संख्या	योजना का नाम	लाभावितों की संख्या	लाभावितों अल्पसंख्यकों की संख्या	लाभावितों का प्रतिशत
01.				
02.				
03.				
04.				
05.				

पदाधिकारी का हस्ताक्षर